B.A. (Hons) Part III
Philosophy Paper VI (1)
Topic Rights and Duties

Dr. Sachidanand Prasad.
Dept. of Philosophy
R.R.S. College, Mokama.

लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिसके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इसप्रकार अधिकार व्यक्ति की माँगे है तथा उसका वह हक है जिसे समाज, राज्य, तथा कानून नैतिक मान्यता देते है तथा उसकी रक्षा करते है। ग्रीन ने कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोककल्याण के लिए माँग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। इसप्रकार अधिकार से स्पष्ट होता है कि माँग समाज द्वारा स्वीकृत होने पर ही अधिकार का रूप लेती है। समाज से बाहर अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। इसप्रकार अधिकार का आधार समाज कल्याण है। समाज कल्याण के हित मे होने के कारण उसका उपयोग आवश्यक है। अधिकार विवेक पर आधारित है, केवल कल्पना और इच्छा पर नहीं। अधिकार निम्नलिखित प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार मानव अधिकार इत्यादि।

(2)

अधिकार के साथ ही साथ कर्तव्य की भी चर्चा की गई है। मानव को अधिकार के साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। इसप्रकार कर्तव्य और अधिकार एक ही तथ्य के दो पक्ष है। अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष है। दोनो ही समाज के प्रति हमारी माँग है। यदि कोई व्यक्ति अपने संबंध में उन्हे देखता है तो वे उसके अधिकार हो जाते है और यदि उन्हे समाज या अन्य व्यक्ति के संबंध मे देखा जाते तो वे कर्तव्य कहलाते है। कर्तव्य भी अधिकार की तरह व्यक्तियों के संबंध पर निर्भर है, अर्थात समाज पर निर्भर है। यह भी समाज द्वारा स्वीकृत है। समाज से अलग कोई कर्तव्य नही होता। सामाजिक हित और इसी के अन्तर्गत वैयक्तिक हित के लिए ही कर्तव्य है। इसप्रकार कर्तव्यों को तीन भागों मे बाँटा गया है।

1. स्वयं के प्रति कर्तव्य :- इसमें शारीरिक, आर्थिक नैतिक इत्यादि कर्तव्यों को रखा जाता है।
2. दूसरों के प्रति कर्तव्य :- इसमें अन्य व्यक्ति, परिवार, राज्य इत्यादि के प्रति कर्तव्यों का ~~समाज~~ समावेश है।
3. ईश्वर के प्रति कर्तव्य :- ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उनकी पूजा इत्यादि इसमे शामिल है।

इसप्रकार हमलोग यह कह सकते है कि अधिकार और कर्तव्य एकदूसरे के पूरक है।